दिनांक 24.01.2006 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति

क्र0सं0	पदनाम	नाम	हस्ताक्षर
1.	आयुक्त	श्री सुभाष कुमार	
2.	सचिव, आवास	श्री पी0 सी0 शर्मा	
3.	सचिव, वित्त	श्रीमती राधा रतूड़ी	[signature] 24/1
4.	उपाध्यक्ष	श्री सुब्रत विश्वास	
4.	जिलाधिकारी	श्री पुनीत कंसल	[signature]
6.	मुख्य नगर अधिकारी	श्री इन्दुधर बौड़ाई	[signature]
7.	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	श्री वृज वी0 रतन	[signature]
8.	मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम (प्रतिनिधि– अधीक्षण अभियन्ता)	~~श्री एस0एन0भट्ट~~ श्री आर. एन. वर्मा	[signature] 24/1/06

अन्य उपस्थिति –

1.	सचिव	श्री यू0सी0कबडवाल	[signature] 24.01.06
2.	मुख्य लेखाधिकारी	श्री डी0 सी0 लोहनी	

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 67 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–1–2006 एवं दिनांक 24–1–2006 में अधिकारियों की उपस्थिति

1–श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढवाल मण्डल	अध्यक्ष
2–श्री सुब्रत विश्वास, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	उपाध्यक्ष
3–श्रीमती राधा रतूडी, सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन	सदस्य
4–श्री पुनीत कंसल, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
5–श्री इन्दुधर बौडाई, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
7–मुख्य अभियंता, पेयजल, उत्तरांचल, देहरादून	सदस्य
8–श्री बी0बी0रतन, प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग	सदस्य

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक की कार्यवाही व गत बैठक की अनुपालन आख्या पढी गयी। गत बैठक की अनुपालन आख्या के विषय कमांक–1 ट्रान्सपोर्ट नगर में वर्ष 2003–04 व 2004–05 में आवंटित भूखण्डों के अंतिम मूल्य का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा अपनी आख्या जो इस कार्यवाही के साथ संलग्न है, प्रस्तुत की गयी जिसका सभी सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में यथा'–स्थिति रखते हुए इसे शासन को निर्णय हेतु संदर्भित कर दिया जाये।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही गत बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की सर्व–सम्मति से पुष्टि की गयी।

विषय कमांक–01 – वित्त एवं लेखा की स्थिति

मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ही श्री बी0एम0शर्मा एण्ड एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि श्री बी0एम0 शर्मा एण्ड एसोसिएट द्वारा उठाए गए विषय एवं समय विशेष पर समुचित कार्यवाही बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि एक विशेष लेखा परीक्षण करा लिया जाये जिसमें **specific subject & specific period** के लिए **Account keeping, classification of Account & Financial Management** सम्मिलित हो।

विषय कमांक–02 – देहरादून महायोजना 2005–2025 को तैयार किए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि महायोजना एवं जोनल प्लान तैयार किए जाने U-dec process management के रूप में कार्य करेगी। U-dec Urban planner एवं Infrastructure Planning आदि के लिए Exprssion of interest एवं RFP आदि आमंत्रित करेगी। अंतिम रूप से Evaluate करने के पश्चात् उसकी स्वीकृति प्राधिकरण से लेगी।

Sd/-

विषय कमांक–03 – तलपट मानचित्र स्वीकृति की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक–04 – खुले क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त खुले क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराकर इन्हें चिन्हित कर लिया जाये तथा भविष्य में इन क्षेत्रों में तलपट मानचित्र स्वीकृति के बिना एकल मानचित्र स्वीकृत न जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई विशेष प्रकरण इन क्षेत्रों का आता है तो उसे बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय कमांक–05 – प्रो–रेटा नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त प्रो–रेटा नीति को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया। आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रकरण पर नीति निर्धारित किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश इस शर्त के साथ दिए गए कि यदि पूर्व में बोर्ड से पारित हों।

विषय कमांक–06 – अनियमित रूप से विकसित कालोनियों को नियमित करने की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक–03 – तलपट मानचित्र स्वीकृति की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक–04 – खुले क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त खुले क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराकर इन्हें चिन्हित कर लिया जाये तथा भविष्य में इन क्षेत्रों में तलपट मानचित्र स्वीकृति के बिना एकल मानचित्र स्वीकृत न जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई विशेष प्रकरण इन क्षेत्रों का आता है तो उसे बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय कमांक–05 – प्रो–रेटा नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त प्रो–रेटा नीति को समाप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया। आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रकरण पर नीति निर्धारित किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने के निर्देश इस शर्त के साथ दिए गए कि यदि पूर्व में बोर्ड से पारित हों।

विषय कमांक–06 – अनियमित रूप से विकसित कालोनियों को नियमित करने की नीति

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक–07 – ग्रुप हाउसिंग नीति

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव में वर्णित बिन्दु संख्या–3.3.7 जोकि ग्रुप हाउसिंग हेतु अन्य आवश्यकता से सम्बन्धित है के बिन्दु संख्या–6 जिसमें कुल निर्मित क्षेत्रफल का 7.5 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 हाउसिंग निर्माण हेतु आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसके स्थान पर 5 प्रतिशत प्रथम वर्ष में रखते हुए अवशेष प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक–08 – मिक्स भू–उपयोग हेतु उपनियम बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव में Premissible land use के अर्न्तगत 1 एवं 5 तथा Non-permissible Mixed land use के 1 से 6 तक के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त Retail activities जो कि Hazardous, Nusance causing category में आती हैं उसे लिपिबद्व करने के निर्देश दिए गए।

विषय कमांक–09 – मसूरी क्षेत्र में पार्किंग के मानकों के सम्बन्ध में

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय कमांक–10 – फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस सैण्टर/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0 के निर्माण हेतु मानकों के सम्बन्ध में

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदित प्रदान किया गया।

विषय कमांक–11 – **देहरादून माजरा में सिटी सेण्टर योजना**

प्रस्ताव को सर्व–सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि U-dec को दिए जाने वाले धन की वसूली Developer से की जाये।

विषय कमांक–12 – **आई0एस0बी0टी0 विस्तार योजना (कामर्शियल काम्पलैक्स)**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

विषय कमांक–13 – **ट्रान्सपोर्ट नगर में इन्टीग्रेटेड कामर्शियल काम्पलैक्स बनाए जाने के सम्बन्ध में**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिए गए।

विषय कमांक–14 – **दून माल योजना**

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई । प्राप्त सभी प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

विषय कमांक–15 – **ग्रेटरदून योजना**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्व–सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुरूप प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही करें एवं इसकी प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक मे अवगत् कराया जाये।

विषय कमांक–16 – **परिचालन द्वारा ग्राम डांडा खुदानेवाला के खसरा नम्बर–201, 204, 207, 210, 211 में इन्स्ट्रीट्यूट भवन मानचित्र संख्या–2244/03–04 के सम्बन्ध में**

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि संस्था से पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में मार्गाधिकार छुडवा लिया जाये।

विषय कमांक–17 – **ग्राम आर्केडिया ग्राण्ट में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के मानचित्र के सम्बन्ध में**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदित प्रदान किया गया।

विषय कमांक–18 – **इंडियन ऑयल का0लि0 द्वारा माजारी माफी खसरा नमबर–78 क,ख व 81 पर एल0पी0जी0 पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु प्रस्ताव**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदित प्रदान किया गया।

विषय कमांक–19 – **मानचित्र संख्या–सी–12/2005–2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत सम्पत्ति संख्या–1003/680 बल्लूपुर चकराता रोड पर फिलिंग स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव को सर्व–सम्मत्ति से अनुमोदित प्रदान किया गया।

विषय कमांक–20 – **उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–749/95 में दिए गए निर्णयोपरान्त भवन निर्माण हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश दिनांक 31–3–2000 व 28–2–2001में शिथलता के सम्बन्ध में**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त इसे शासन को संदर्भित करने हेतु निर्देश दिए गए ।

विषय कमांक–21 – **मौजा सेवलांकलां के खसरा नम्बर–85 (एम) का भूउपयोग सरकारी/अर्द्व–सरकारी (जी) में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में**

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को विस्तृत विवरण सहित प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Subrata L' | Sd—
(सुब्रत विश्वास) | (सुभाष कुमार)
उपाध्यक्ष, | आयुक्त,
म0दे0वि0प्रा0, | गढवाल मण्डल/
 | अध्यक्ष,
 | म0दे0वि0प्रा0,देहरादून